उत्तर पश्चिम रेलवे

Office of the General Manager (P)
09 AUG 2012
North Western Railway, Jaipur
उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर

प्रधान कार्यालय
जयपुर
आर.बी.ई.सं. 84/2012
दिनांक 1/8/2012

संख्याः– 615-E/0/Pass

RBE No. 84/2012

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक– जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक– अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक– अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण– जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.–जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.– जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.– जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड– अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान– उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र– जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.– जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय – महाप्रबंधक प्रका.– जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एंव वेतन विभाग प्रका.– जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.– जयपुर.

विषय :– Complimentary Card Passes issued to Arjuna Awards.

संदर्भ :– Rly Bd No. E(W)2012/PS 5-14/1 dt. 20/7/2012

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 20/7/2012 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एंव सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलग्न– यथोक्त।

(आर.के.शर्मा)
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपिः–

7. महासचिव– एनडब्ल्यूआरईयू 15 प्रतियॉं।
8. महासचिव– यूपीआरएमएस 15 प्रतियॉं।
9. महासचिव– एससी/एसटी एसो. 15 प्रतियॉं।
10. महासचिव– ओबीसी एसो. 05 प्रतियॉं।
11. महासचिव– पदोन्नत अधिकारी एसो. 05 प्रतियॉं।
12. [illegible]

RBE No. 84/2012

भारत सरकार Government of India

रेल मंत्रालय Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No. E(W)2012/PS 5-14/1 New Delhi, Dated: 20-07-2012

The General Managers (P),
All Zonal Railways.

Sub: Complimentary Card Passes issued to Arjuna Awardees.

Ref: Railway Board's letters No. E(W)95/PS 5-6/61 dated 23-02-1996 and 20-05-1999 and E(W)97/PS 5-6/34 dated 10-09-1997

As per extant policy, Ministry of Railways provides 1st Class/2nd AC Complimentary Card passes to meritorious sports-persons who are Arjuna Awardees, Olympic Medalists, Gold Medalists in Asian or Commonwealth Games or Dronacharya Awardees. The said Card pass entitles them life-long free rail travel for self only in 1st Class/2nd AC over all-Indian Railways (except Metro Railway/Kolkata) by any train other than Rajdhani/ Shatabdi trains. The policy further prescribes that sports-person is entitled to facility of a companion in the same Class on the aforesaid Card pass on attaining the age of 65 years. Railway Board's letters mentioned above refer in this regard.

2. It has now been decided by Ministry of Railways that Complimentary Card passes issued to sports-persons who are Arjuna Awardees shall henceforth be valid for travel in 2nd AC /3rd AC in Rajdhani trains and Chair Car (CC) in Shatabdi trains besides being valid for travel in 1st Class/2nd AC in other Mail/Express trains (except Duronto trains). It has been further decided that the companion allowed at the age of 65 years shall also be entitled to travel in the same Class along with Arjuna Awardees in Rajdhani/Shatabdi trains. It may be further mentioned that aforesaid travel facility by Rajdhani/Shatabdi trains shall be admissible only to Arjuna Awardees and not to other sports-persons who are provided with Complimentary Card passes.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

Kindly acknowledge receipt.

(Debasis Mazumdar)
Director Establishment (Welfare),
Railway Board.

Copy to:-

1. PS/MR, OSD/MR, EDPG/MR, PS/MSR(M), EDPG/MSR(M), PS/MSR(B), Adv. PG/MSR(B)
2. PSOs/Sr.PPSs to CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, Secy., DG/RPF, DG/RHS, All Additional Members/Advisers, EDPM, EDF(E), EDV(E), EDV(T), JS, DTC(G), DTC(G)II, DPM, JDF(E), Dir.(GA), DDF(E)III, US(Parl.), Railway Board
3. G(Pass), TG-I, F(E)III Branches, Railway Board.
4. M/s Bahri Brothers, Lajpat Rai Market, Delhi.

***

आरबीई सं. 84/2012

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2012/पीएस 5-14/1 नई दिल्ली, दिनांक: 20.07.2012

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें।

विषय: अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को मानार्थ कार्ड पास जारी करना।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 23/02/1996 का पत्र सं.ई (डब्ल्यू) 95/पीएस 5-6/ 61 और दिनांक 10.09.1997 का पत्र सं.ई (डब्ल्यू) 97/पीएस5-6/34.

मौजूदा नीति के अनुसार, रेल मंत्रालय उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों जो अर्जुन पुरस्कार, ओलंपिक पदक, एशियाई या राष्ट्रकुल खेलों में स्वर्ण पदक या द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हों, को प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूल श्रेणी के मानार्थ कार्ड पास प्रदान करता है। उक्त कार्ड पास पर वे सभी भारतीय रेलों पर राजधानी /शताब्दी गाड़ियों से इतर किसी भी गाड़ी में (मेट्रो रेलवे/कोलकाता को छोड़कर) केवल स्वयं के लिए जीवन भर निःशुल्क रेल यात्रा करने के पात्र हैं। इस नीति में यह भी निर्धारित है कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर खिलाड़ी उपरोक्त कार्ड पास पर उसी श्रेणी में एक कम्पेनियन के साथ यात्रा करने का पात्र है। रेलवे बोर्ड के ऊपर उल्लिखित पत्रों में इस बारे में उल्लेख किया गया है।

2. अब रेल मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उन खिलाड़ियों, जो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, को जारी किए गए मानार्थ कार्ड पास अब से अन्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों (दुरंतो गाड़ियों को छोड़कर) में प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूल श्रेणी में यात्रा करने के लिए वैध होने के अलावा राजधानी गाड़ियों में द्वितीय वातानुकूल श्रेणी /तृतीय वातानुकूल श्रेणी और शताब्दी गाड़ियों में कुर्सी यान (सीसी) में यात्रा करने के लिए भी वैध होंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के साथ अनुमत कम्पेनियन भी राजधानी/शताब्दी गाड़ियों की उसी श्रेणी में यात्रा करने के पात्र होंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में यात्रा की उक्त सुविधा केवल अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को ही अनुमेय होगी न कि अन्य ऐसे खिलाड़ियों को, जिन्हें मानार्थ कार्ड पास प्रदान किए जाते हैं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

(देबाशीष मज़ूमदार)
निदेशक स्थापना (कल्याण)
रेलवे बोर्ड.

ESTT-E (W)